संख्या-10/2022/पी-200/001-38-9002 002 2 2022

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 15 सितम्बर 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 56.75 लाख (रू0 छप्पन लाख पचहत्तर हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1971/एफ-31(10)/यूपीआरआरडीए/2022-23, दिनांक-19.07.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के संचालन हेतु सहायता अनुदान में गैर वेतन मद के लिए प्राविधानित धनराशि रू0 227.00 लाख (रूपये दो करोड़ सत्ताईस लाख मात्र) के सापेक्ष द्वितीय किश्त (25 प्रतिशत) के रूप में रू0 56.75 लाख (रू0 छप्पन लाख पचहत्तर हजार) को आपके निर्वतन पर रखने हेतु निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) आकड़ो की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(2) पूर्व स्वीकृत किश्त के नियमानुसार व्यय/समायोजन, आकड़ो की शुद्धता व स्वीकृत धनराशि को मितव्ययिता के साथ अनुमन्य मदों में व्यय करने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करते हुये अपितु प्रकरण में आवश्यक्ता व औचित्य के सम्बन्ध में संतुष्ट होते हुए नियमानुसार ही किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र पर किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित मदों में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 56,75,000 (रूपये छप्पन लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 013 लेखा शीर्षक 2515008000401 उ.प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की स्थापना मानक मद 20 सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या **E -2-46-X-2022-23-** दिनांक-10.08.2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

संख्या-10/2022/पी-200/002-38-9002 002 2 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास , उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- श्री हरी राम (नोडल अधिकारी), संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वित्तीय स्वीकृतियों को उ0प्र0 बजट एलाटमेंट सिस्टम के माध्यम से आनलाइन निर्गत किये जाने तथा आनलाइन बजट एलाटमेंट सिस्टम में प्रविष्ट करने हेतु।
8- गार्डबुक।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in